संख्या- 20/2016/आर-53/26-3-2016-2(सी.पी.एल.)/2011

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 02 फरवरी 2016

विषयः-अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सी0पी0एल0 प्रशिक्षण कोर्स हेतु 02 छात्रों श्री नितिन कुमार एवं श्री गौतम सिंह को कार्मशियल पाइलेट लाइसेन्स कोर्स हेतु दूसरी किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-3583/स.क./शिक्षा-अ/सी.पी.एल./2015-16, दिनांक-31.12.2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कार्मशियल पाइलेट लाइसेन्स प्रशिक्षण कोर्स हेतु चयनित 02 छात्रों श्री नितिन कुमार पुत्र श्री सतेन्द्र पाल निवासी-ग्राम व पोस्ट चैराबगरखेत, जनपद-शाहजहांपुर एवं श्री गौतम सिंह पुत्र श्री गेंदालाल निवासी-अफजलपुर, पोस्ट डिवाई जनपद-बुलन्दशहर, उ0प्र0 को उक्त पाठ्यक्रम की 50 घंटे की फ्लाइंग पूर्ण करने के उपरान्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की कुल धनराशि रूपया-50,22,500/- (रूपया पचास लाख बाईस हजार पांच सौ मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 33 प्रतिशत धनराशि पूर्णांक में रूपया-16,57,500/-(रूपया सोलह लाख सत्तावन हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निर्वतन पर रखी गयी हैं, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी/1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-20/2016/आर-53(1)/26-3-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से,
विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in